



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
नासिन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर – 29, फ़रीदाबाद – 121008
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue
NACIN Complex, Sector – 29, Faridabad – 121008
फ़ोन/Telephone: 0129-2504652-54
फ़ैक्स/Fax: 0129-2504632

(ई-मेल के माध्यम से)

फा.सं.NACIN/TRNG/SOFT/2021

दिनांक:27.04.2021

विषय:- नासिन, फ़रीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए “Soft Skills and Negotiating Skills” विषय पर दिनांक 10.05.2021 को प्रातः 10:30AM से अपराह्न 01:05 PM तक ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फ़रीदाबाद द्वारा दिनांक 10 मई, 2021 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप-ए अधिकारियों के लिए “Soft Skills and Negotiating Skills” विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण प्रातः 10:30 AM से अपराह्न 01:05 PM तक आयोजित किया जाएगा।

2. अतः यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के उपयुक्त समूहके अधिकारियों को नामित किया जाये। नामांकन केवल अधोलिखित EXCEL प्रोफॉर्मा में ही भेजे जाये। PDF फॉरमेट में दिये गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (in capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

3. नामांकन सकारात्मक रूप से **साँय 5 बजे दिनांक 06 मई, 2021** तक केवल ई-मेल के माध्यम से ई-मेलआईडी- nomination.istnacin@gmail.com पर भेजे जा सकते हैं। वेब- प्लैटफ़ॉर्म, वेब- लिंक एवं ऑनलाइन सत्र में भाग लेने संबंधित अन्य निर्देश, नामांकित अधिकारियों की ई-मेलआईडी पर भेज दिये जाएंगे। अधिकारी सांझे किए गए लिंक पर क्लिक कर के प्रशिक्षण सत्र में भाग ले पाएंगे। उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु श्री राजेश कुमार, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9013171249) एवं श्री पी के सिन्हा, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9910510842) से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,

हस्ताक्षरित्
(राजेश कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषण:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआई के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वेबसाइट